

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1070

29.07.2024 को उत्तर के लिए

**महादेई नदी के मार्ग बदलने का प्रभाव**

**1070. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्या संबंधित प्राधिकारियों ने गोवा राज्य में महादेई वन्य जीव अभयारण्य, महावीर वन्य जीव अभयारण्य, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य और सलीम अली पक्षी अभयारण्य और कर्णाटक राज्य में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में महादेई नदी के पानी के मार्ग बदलने के कारण वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा है;
- (ख) महादेई नदी के जल का मार्ग परिवर्तन का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और
- (ग) सरकार द्वारा पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:**

**( श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) और (ख): कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानपुर तालुक में कलसा नाला अपवर्तन योजना के निर्माण हेतु काली और सहयाद्रि टाइगर रिजर्व के बीच बाघ गलियारे से 10.6852 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) की 77वीं बैठक में चर्चा की गई थी। हालाँकि, इस परियोजना को एससीएनबीडब्ल्यूएल द्वारा अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) पश्चिमी घाट में संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्न शामिल हैं:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) पश्चिमी घाट के राज्यों सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ एवं हाथी परियोजना, दावानल निवारण एवं प्रबंधन तथा राष्ट्रीय हरित भारत मिशन शामिल। प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग पश्चिमी घाट में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए भी किया जाता है।

- ii. वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत देश भर के महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का एक नेटवर्क बनाया गया है।
- iii. मंत्रालय राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-संवेदनशील क्षेत्रों को भी अधिसूचित करता है।
- iv. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना की प्रक्रिया तथा संरक्षित क्षेत्रों और अन्य परिदृश्य तत्वों के लिए प्रबंधन योजना की अन्य प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- v. सीएसएस- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों और इनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम घटक के अंतर्गत गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
- vi. भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ एवं संकटापन्न पशु प्रजातियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।
- vii. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध में इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।
- viii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन प्राधिकरण वन्य जीवों के अवैध शिकार के खिलाफ कड़ी निगरानी रखते हैं।
- ix. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्य जीवों के अवैध शिकार और वन्य जीवों से संबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करने तथा वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतर-राज्यीय और सीमापार समन्वय स्थापित करने के लिए की गई है।
- x. मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को सुदृढ़ करने, आर्द्रभूमि में और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण करने, वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अनुभव आधारित शिक्षा और संरक्षित क्षेत्रों में या इसके आसपास विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय कार्बन पृथक्करण का ध्यान रखने के लिए परामर्शिका जारी की है।

\*\*\*\*\*